न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 220 सन 2023
अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र छोगाराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/02/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 127 की 54.03 बीधा भमि व खसरा संख्या 123 की 9.15 बीधा कुल 63.18 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को रामेश्वर वल्द छोगाराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित की गई थी आंवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी रामेश्वर वल्द छोगाराम के कब्जा काश्त में रही जो आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित भूमि थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 915/901 के खसरा न0 742/1360 की 1.8975हैक्ट व खसरा न0 768 की 3.7950हैक्ट कुल 5.6925हैक्ट भूमि में परिर्वतन होकर पैमुद हो चुकी है जो आवंटी रामेश्वर वल्द छोगाराम जाति मेधवाल के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवटी रामेश्वर वल्द छोगाराम को आवंटन होने से लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है एव आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की जा रही है वाद भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे किन्तु इन्कार हो गये इसलिये वादी ने अपने हकों की धोषणा करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 915/901 की कुल 5.6925हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत ही पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथपत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में [illegible] किया की रोही मौजा धानसिया के खसरा संख्या 127 की 54.03 बीधा व खसरा संख्या 123 की 9.15 बीधा कुल 63.18 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को रामेश्वर वल्द छोगाराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित की गई थी आवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी रामेश्वर वल्द छोगाराम के कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत आवंटन आदेश एवं गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है।

वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम को आवंटित भूमि थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 915/901 के खसरा न0 742/1360 की 1.8975हैक्ट व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा न0 768 की 3.7950हैक्‍ कुल 5.6925हैक्‍ भूमि में परिर्वतन होकर पैमुद हो चुकी है। आवंटी लालचन्द्र पुत्र छोगाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव कब्जा काश्त में चली आ रही है ।

उक्त भूमि आवटी रामेश्वर वल्द छोगाराम को आवंटन होने से लेकर आज तक रामेश्वर वल्द छोगाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की जा रही है.वाद भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हो चुके है।

वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने के कारण यदि उपनिवेशन नियमों के तहत भी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर वादी के हकों की धोषणा की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है इसलिये वाद भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमो/परिपत्रों के अधीन ही वादी पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 127 की 54.03 बीधा व खसरा न0 123 की 9.15 बीधा कुल 63.18 बीधा भूमि रामेश्वर वल्द छोगाराम ज़ाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 18. 07.1968 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है।

वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम जाति मेधवाल को आवंटित भूमि रोही मोजा धानयिा के साबिका खसरा न0 127 ,123 की 63.18 भूमि को भु0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 742/1360 की 07.10 बीधा एवं खसरा न0 742 की 15.00 बीधा मे पैमुद किये गये जो हाल जमाबन्दी में हैक्टयर मे परिर्वतन किया जाकर रोही मोजा धानसिया के खाता संख्या 915/901 के खसरा न0 742/1360 की 1.8975हैक्‍ , खसरा न0 768 की 3.7950 हैक्‍ कुल 5. 6925 है में परिर्वतन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है एवं साबिका से हाल खसरा नम्बर परिर्वतन में किसी प्रकार का विवाद नही है.

वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम को वाद भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई थी जो आवंटि रामेश्वर वल्द छोगाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो प्रस्तुत गिरदावारीयों/तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि आवंटन के समय से वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया अर्थात वाद भूमि आवंटन से लेकर आज तक रामेश्वर वल्द छोगाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसे दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन दिनांक 18.07.1968 के सात वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

पेरोकार राज़ का कथन उचित प्रतित होता है वाद भूमि रामेश्वर वल्द छोगाराम को बारानी क्षेत्र में आवटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है।

राज्य सरकार के द्वारा [illegible] 1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के [illegible] अधिकार दिये जाने के सम्बध में समय समय पर परिपत्र /अधिसूचना [illegible] के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लियें वादी सहमत भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी रामेश्वर वल्द छोगाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 127 ,123 की 63.18 बीघा भूमि हाल खसरा न0 742/1360 की 7.10 बीघा व 768 की 15.00 बीघा भूमि दिनांक 18.07.1968 को आंवटन की गई थी जो रामेश्वर वल्द छोगाराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं परिपत्रों के अधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा धानसिया के हाल खाता संख्या 915/901 की कुल 5.6925हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शा[illegible]ल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील ज[illegible]

पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को [illegible] हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री पंकज गढवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र छोगाराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 220 सन 2023 निर्णय दिनांक –04/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मोजा धानसिया के हाल खाता संख्या 915/901 की कुल 5.6925हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested